छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाउकल्याण सिंह भवन,रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 11 अक्टूबर 2005

कमांक एफ 1–1/2005/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:–** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 कहलाएंगें।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।

2. **परिभाषाएं:–** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

   (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, (22 सन 2005) से है।

   (ख) 'धारा' का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है।

   (ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है,किन्तु परिभाषित नही है, उनके वही अर्थ होगें जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए है।

3. धारा–6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दस रुपये शुल्क नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष – 0070–उपमुख्यशीर्ष –800– अन्य प्राप्तियॉं" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा ।

4. धारा–7 की उपधारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मूल्य नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के"मुख्यशीर्ष–0070–उपमुख्यशीर्ष –800– अन्य प्राप्तियॉं" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :–

   (क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए–4 या ए–3 आकार) कागज के लिए दो रुपए,

   (ख) बड़े आकार के क़ागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य, एवं

   (ग) नमूना अथवा माडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य,...

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट(या उसके भाग)के लिए पॉच रुपए की शुल्क

5. धारा–7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से नगद,समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के " मुख्यशीर्ष – 0070 – उपमुख्यशीर्ष –800– अन्य प्राप्तियॉं" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :–

(क)सी.डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति सी. डी. या फ्लापी, एवं

(ख) मुद्रित फार्म में सूचना के लिए प्रकाशन के लिये नियत कीमत।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर,दिनांक अक्टूबर,2005

मांक एफ 1–1/2005/1/6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में स विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2005/1/6 दिनांक 11/10/2005 का अंग्रेजी नुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

तिलिपि :–

संयुक्त सचिव, भारत सरकार,कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली,

अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,गृह विभाग मंत्रालय रायपुर

महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव,राजभवन,रायपु

4. सचिव,छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,रायपुर
5. रजिस्ट्रार,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
6. सचिव,मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय,रायपुर
7. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव,मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण
8. मुख्यसचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय,रायपुर
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय रायपुर
10. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली
11. सचिव,राजस्व मंडल बिलासपुर
12. समस्त विभागाध्यक्ष
13. समस्त कलेक्टर्स,
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय,रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग